न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2020	2020/00019	13.03.2020	20.02.2025

1. फूलचन्द पुत्र लल्लूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. खैराती लाल पुत्र लल्लूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
3. नारायण पुत्र लल्लूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 जरिये मुख्त्यारआम फूलचन्द पुत्र लल्लूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. खेमचन्द पुत्र लल्लूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0।
2. लखविन्दर सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
3. सतनामसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट

4. दौलतराम पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
5. प्रेमचन्द पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
6. रूकमणी पुत्री हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
7. शीला देवी पुत्री हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

8. ओम प्रकाश पुत्र स्व. छोटेलाल जाति जांगिड ब्राह्यण निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
9. रूपचन्द पुत्र स्व. छोटेलाल जाति जांगिड ब्राह्यण निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
10. सतीश पुत्र स्व. छोटेलाल जाति जांगिड ब्राह्यण निवासी सेढ मौहल्ला रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—तकमीली रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 25.02.2018 तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता	—वकील अपी0
02—श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक)	—वकील रेस्पो0 सं0 1
03—श्री मनोज जैन	—वकील तरतीबी रेस्पो0
04—श्री नीरज दिक्षीत	—वकील तकमीली रेस्पो0

अ[illegible] जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट्स ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 25.02.2018 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 1111 रकबा 0.19 है0, 1113 रकबा 0.27 है0, 1114 रकबा 0.27 है0, 1115 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ की बाबत् शुद्धिपत्र किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. मे स्थित है। जिसमे तहसीलदार रामगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का 19/83 व 19/83 हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया है, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 680 मिन रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा हरबन्ससिंह पुत्र जोधसिंह जाति सिक्ख निवासी रामगढ तहसील जिला अलवर राज. हाल तहसील रामगढ की कब्जे काश्त की आराजी थी। जिस आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.06.1965 के जरिये लल्लूराम, हीरालाल पुत्रान चन्दू जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामगढ अलवर द्वारा क्रय की गई थी। जिसमे लल्लूराम व हीरालाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसमे लल्लूराम के वारिसान अपीलान्टस है तथा हीरालाल के वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 है। तहसीलदार रामगढ द्वारा शुद्विपत्र दिनांक 25.02.2018 करते समय अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टस उक्त आदेश से व्यथित पक्षकार है एवं एग्रिवड परसन है। तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज. के निर्णय दिनांक 25.02.2018 शुद्धिपत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम रामगढ़ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, जो न्यायालय श्रीमान् के श्रवण योग्य है।

तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 25.02.2018 जिसके द्वारा शुद्धिपत्र को विधि विरूद्ध गलत व बेजा तौर पर कब्जे व मौके के खिलाफ भरा गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है, जो स्वीकार होने योग्य है। निर्णय दिनांक 25.02.2018 तहसीलदार रामगढ जिला अलवर का है। जिस निर्णय की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व मे नही थी तथा दिनांक 26.02.2020 को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 मौके पर आये और मिन अपीलान्टस को जबरन बेदखल करने लगे तथा अपीलान्टस के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर कब्जा करने लगे एवं कहने लगे की उक्त आराजी तो हमारे नाम पर है। जिसको तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 25.02.2018 को शुद्धिपत्र द्वारा हमारे नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त आराजी हम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की आराजी है। तब अपीलान्टस को इस तथ्य की जानकारी हुई। जिस निर्णय की जानकारी दिनांक 26.02.2020 को अपीलान्ट को हुई। जिस पर अपीलान्टस द्वारा दिनांक 27.02.2020 को शुद्धिपत्र दिनांक 25.02.2018 की नकल हेतु आवेदन किया गया तथा दिनांक 27.02.2020 को तैयार होकर दिनांक 02.03.2020 को प्राप्त हुई है। जिससे शुद्धिपत्र आदेश दिनांक 25.02.2018 की जानकारी होने के कारण अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। जो आदेश दिनांक 25.02.2018 एबनिशियो वोईड है, क्योंकि उक्त आराजी की बाबत जो शुद्धिपत्र भरा गया है वह अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस की खरीदशुदा आराजी है। जिसका रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा अर्थात 0.30 हैक्टर है तथा अपीलान्टस एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है। इस कारण यह आदेश दिनांक 25.02.2018 एबनिशियो वोईड की तारीफ मे आता है। एबनिशियो वोईड आदेश के लिये मियाद की कोई सीमा नहीं होती है। जिसके लिये कानून

अ. [illegible] (प्रथम)
[illegible] (राज0)

मियाद अधिनियम की भी आवश्यकता नही है। फिर भी दिनांक 26.02.2020 को जानकारी होने पर दिनांक 27.02.2020 को नकल हेतु आवेदन किया। जिस पर दिनांक 02.03.2020 को नकल प्राप्त हुई है। जिससे यह अपील बिना किसी देरी के नेक नियति व सदभावनापूर्वक प्रस्तुत की जा रही है। जिसके लिये दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अल्हदा से प्रस्तुत है।

अपीलान्टस उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। जिसमे अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस की 0.30 हैक्टर आराजी है। अपीलान्टस उक्त आराजी पर वक्त खरीद से ही काबिज चले आ रहे हैं। तहसीलदार रामगढ ने उक्त आराजी का शुद्विपत्र भरते समय राजस्व रिकोर्ड एवं मौके का अवलोकन नहीं किया तथा ना ही अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया। जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। उक्त आराजी पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का केवल 0.09 हैक्टर व 0.09 हैक्टर पर हक व हिस्सा है। इस प्रकार दोनों का कुल 0.18 हैक्टर पर है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का 19/83 व 19/83 हिस्सा दर्ज किया गया है, वह गलत किया गया है। जिस आदेश से अपीलान्टस व्यथित पक्षकार है एवं एग्रिवड परसन है।

अपीलान्टस के पिता लल्लूराम पुत्र चन्दू व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के पिता हीरालाल पुत्र चन्दू द्वारा दिनांक 14.06.1965 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा आराजी खसरा नम्बर 680 मिन रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा को क्रय किया गया था, तभी से ही अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के पिताओ का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर में से 20/83 यानि 0.20 हैक्टर वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. की खातेदारी हरबन्स पुत्र जोधासिंह के स्थान पर श्री हीरालाल पुत्र चन्दूराम जो कि तरतीबी रेस्पोडेन संख्या 04 लागायत 07 के पिता है। जिसको 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रदान की गई तथा फूलचन्द, खैरातीलाल, खेमचन्द, नारायण पिता लल्लूराम जो कि अपीलान्टस है। उनको 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रदान की गई है। इस प्रकार 0.20 हैक्टर मे से 0.10 हैक्टर अपीलान्टस व 0.10 हैक्टर तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 का है तथा शेष आराजी 0.10 हैक्टर का पूर्व से ही अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 1/2–1/2 खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर मे अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 04 लागायत 07 का 30/83 हिस्सा है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर मे 09/83 व 09/83 हिस्सा है, जबकि शुद्विपत्र में तहत अदालत तहसीलदार रामगढ द्वारा 19/83 व 19/83 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के नाम गलत दर्ज किया गया है। जो आदेश खिलाफ कानून है और शुद्विपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

मिसल वन्दोबस्त सम्वत् 2058 में भी हरबन्ससिंह पुत्र जोधासिंह जाति सिक्ख 08 बिस्वा यानि 0.10 हैक्टर खातेदार व 16 बिस्वा यानि 0.20 हैक्टर का गैर खातेदार दर्ज है। जिसमे से 16 बिस्वा यानि 0.20 हैक्टर का गैर खातेदारी से खातेदारी का सनद पट्टा अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्स के पिता के हक जारी किया गया है। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर में छोटेलाल पुत्र मुखराम जाति जागिंडा ब्राहमण का 0.3 हैक्टर खातेदारी यानि 3/83 हिस्सा, तथा 0.32 हैक्टर गैरखातेदारी

यानि 32/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, अपीलान्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा, तरतीबी रेस्पोडेन्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा है। जबकि शुद्धिपत्र भरते समय गलत प्रकार से रेस्पोडेन्टस संख्या 02 व 03 के नाम 19/83 व 19/83 हिस्सा किया गया है।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 अपील करने मे शरीक नही हो सके है। इसलिए उन्हे तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 बनाया गया है। तकमीली रेस्पोडेन्ट संख्या 08 छोटेलाल पुत्र मुखराम जाति जांगिड़ ब्राहमण उक्त आराजी का सहखातेदार है। जिस कारण उसे तकमीली प्रतिवादी बनाया गया है। अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के हक में खातेदारी का नामान्तरण संख्या 695 दिनांक 25.02.2015 को दर्ज व स्वीकार किया जा चुका है। जिसका राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद नहीं हुआ है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लागायत 07 के पिता हीरालाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत नामान्तरण संख्या 770 स्वीकार हो चुका है तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 04 लागायत 07 की माताजी बुद्धो देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत नामान्तरण संख्या 868 स्वीकार हो चुका है।

अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 25.02.2018 जिसके द्वारा शुद्धिपत्र भरा गया है। उसे निरस्त फरमाया जावे तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर में छोटेलाल पुत्र मुखराम जाति जागिंड ब्राहमण का 0.3 हैक्टर खातेदारी यानी 3/83 हिस्सा, तथा 0.32 हैक्टर गैरखातेदारी यानि 32/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, अपीलान्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा, तरतीबी रेस्पोडेन्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे। अति कृपा होगी।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (भू.अ.) द्वारा स्वीकृत शुद्धिपत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर में अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 04 लागायत 07 का 30/83 हिस्सा तथा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का उक्त आराजी में 09/83 व 09/83 हिस्सा है, जबकि शुद्विपत्र में तहत अदालत तहसीलदार रामगढ द्वारा 19/83 व 19/83 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के नाम दर्ज किया गया है। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड बैयनामे के अनुसार अपीलान्टस के पिता लल्लूराम पुत्र चन्दू व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के पिता हीरालाल पुत्र चन्दू द्वारा दिनांक 14.06.1965 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा साबिक आराजी खसरा नम्बर 680 मिन रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा को क्रय किया गया था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस उक्त आराजी पर काबिज रहकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पोडेन्टस उक्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (भू.अ.) द्वारा स्वीकृत शुद्धिपत्र भरते समय बैयनामे का अवलोकन नहीं किया गया है, जो कि एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आ... (प्रथम)
...

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ निर्णय दिनांक 25.02.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्याया0 तहसीलदार रामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.19 हैक्टर, 1113 रकबा 0.27 हैक्टर, 1114 रकबा 0.27 हैक्टर, 1115 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 0.83 हैक्टर में छोटेलाल पुत्र मुखराम जाति जागिंड ब्राह्मण का 0.3 हैक्टर खातेदारी यानी 3/83 हिस्सा, तथा 0.32 हैक्टर गैरखातेदारी यानि 32/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का 0.09 हैक्टर यानि 9/83 हिस्सा, अपीलान्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा, तरतीबी रेस्पोडेन्टस का 0.15 हैक्टर यानि 15/83 हिस्सा दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)